राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया (आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2017/00318
अपील संख्या 157/17 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. पूरनमल पुत्र अजमेरी जाति जाटव निवासी बारोली रान तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. गणेशी पुत्र श्रीया जाति जाटव निवासी बारोली रान तहसील नदबई जिला भरतपुर .....अपीलांटान

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब नदबई

.....रेस्पोडेन्ट

अपील वनाराजगी अंतर्गत धारा 223 आर. टी.ए. खिलाफ फैसला व डिक्री सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 18.02.13 मिसिल नं. 196/08 व उनवानी पूरनमल बनाम राज.सरकार।

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री जितेन्द्र कुमार एड.

निर्णय दिनांक 28.09.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नं. 375 मिन रकबा 4 बीघा 10 बीस्वा हाल खसरा नं. 416 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम बारोली रान तहसील नदबई में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

एकपक्षीय बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

उद्योग स्वीकार है :-

हस्ताक्षर

विचार नहीं किया है कि अपीलार्थी विवादित आराजी पर आवंटन के आधार पर खातेदार काश्तकार हैं। अपीलार्थी गत चालीस वर्षों से विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः अपीलार्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है, कि अपीलार्थी विवादित आराजी पर गैर–खातेदार रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन इस संबंध में उसके द्वारा प्राथमिक उपचार जो कि तहसीलदार के स्तर पर कार्यवाही हेतु उसके पास उपलब्ध था, का प्रयोग उसके द्वारा नहीं किया गया हैं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इसी आधार पर वाद खारिज किया गया हैं। अपील चार वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है, और इसका कारण जो अंकित किया गया है, जो यह है कि अपीलार्थी सेना में होने के कारण लम्बी अवधि तक अपने गाँव नहीं आता था। यह कारण मानने योग्य नहीं है, कि अपीलार्थी चार वर्ष तक कभी भी अपने गाँव में नहीं आया हो। ऐसी दशा में प्रारंभिक उपचार का प्रयोग ना करने एवं विलम्ब के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी बसीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2017/00318
अपील संख्या 157/17 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. पूरनमल पुत्र अजमेरी जाति जाटव निवासी बारोली रान तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. गणेशी पुत्र श्रीया जाति जाटव निवासी बारोली रान तहसील नदबई जिला भरतपुर
.....अपीलांटान

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब नदबई

.....रेस्पोडेन्ट

अपील

वनाराजगी अंतर्गत धारा 223 आर.टी.ए. खिलाफ फैसला व डिक्री सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 18.02.13 मिसिल नं. 196/08 व उनवानी पूरनमल बनाम राज. सरकार।

यह अपील .....28.....माह.....09.....सन्.....2018.....व हमारे ...श्री जितेन्द्र कुमार एड0.... मिनजानिब अपीलाण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि **प्रारंभिक उपचार का प्रयोग ना करने एवं विलम्ब के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं।**

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....**28**.....माह.....**09**.....सन्.....**2018**..... को जारी की गई।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।